हिंदी आशुलिपि परीक्षा – जनवरी, 2020

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

हिंदी शिक्षण योजना, परीक्षा स्कंध

प्रश्न पत्र – प्रथम

बैच – I

12

डिक्टेशन समय : 5 मिनट

लिप्यंतरण समय : 50 मिनट

पूर्णांक : 100

(गति : 80 श.प्र.मि.)

अध्यक्ष महोदय, आज सदन में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री द्वारा मोटर वाहन संशोधन बिल पेश किया गया है। / मैं इस बिल का हृदय से स्वागत करता हूं ¼ और आशा करता हूं कि जिस मंशा से यह बिल लाया // गया है, वह पूरी होगी। मैं ½ अपनी समझ के अनुसार इस बिल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मुझे /// लगता 2/3 है कि यह बिल सड़क सुरक्षा प्रदान करने के लिए दो दशक पुराने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करने (X) के लिए लाया गया है। यह बिल मोटर वाहनों से (1) संबंधित लाइसेंस और परमिट देने, मोटर वाहनों के लिए मानक / निर्धारित करने और ¼ इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान करता है। इसके अतिरिक्त इस संशोधन बिल // में सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति के लिए उचित उपचार और जान ½ की हानि होने पर पर्याप्त मुआवजा देने की /// व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार ने ¾ इस बिल में सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों का नकदी रहित उपचार करने (X) की (2) एक नई योजना विकसित करने की बात कही है। केंद्र सरकार का मानना है कि घातक चोट के बाद / एक घंटे की अवधि के अंदर उचित उपचार और देखभाल से मौत को ¼ मात देने की संभावना सबसे ज्यादा // होती है। मैं भी सरकार के इस विचार से सहमत ½ हूं और इस प्रस्ताव का दिल से समर्थन करता हूं। /// ¾

महोदय, सरकार ने वाहन बीमा के अंतर्गत मुआवजे का दावा करने वालों को अंतरिम राहत देने के लिए भी एक (X) योजना बनाने की बात कही है। यह व्यवस्था (3) भी उत्तम है। हिट और रन मामलों में न्यूनतम मुआवजे की राशि / को बढ़ाकर अनुकूल ¼ बनाने की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी। सरकार ने इस ओर ध्यान // देकर एक उचित कदम उठाया है। मेरा मानना है कि केंद्र सरकार को मोटर ½ वाहन दुर्घटना कोष बनाने की /// तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इसमें यह व्यवस्था ¾ होनी चाहिए कि देश के अंदर सड़क मार्ग का प्रयोग करने (X) वाले सभी लोगों को (4) अनिवार्य बीमा कवर प्रदान किया जाए। अधिनियम में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से / कुछ कठोर प्रावधान भी रखे गए हैं। मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है ¼ कि इस संशोधन बिल में रखे गए // ये कठोर प्रावधान अठारह राज्यों के परिवहन ½ मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित हैं। संसद की स्थायी समिति ने इन सिफारिशों /// ¾ की विस्तार से जाँच की है और समिति की रिपोर्ट के आधार पर इन्हें अधिनियम में शामिल किया गया है। (X) (5)